

**विहार स्टेट माइनिस्ट्रीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि. पटना**

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हाईटिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com, website:www.bsmfc.org)

संख्या: **2509** बी.एस.एम.एफ.सी., /

पटना, दिनांक: -----

**स्वीकृतपत्र**

रुपय सम्पत्ति मूल्यांकन अल्पसंख्यक रोजगार रक्षण योजना-सहित चयन समिति से दिनांक 06.06.2013 एवं 07.09.2013 को पटना जिला के चयनित अल्पसंख्यकों के द्वारा सम्पत्ति उद्घोषित कमाजात के आधार पर कुल 02 लागूकों को उनके नाम के सामने ऑफिस टैड में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर दशांश रुपे रक्षण राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत रक्षण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के प्रस्ताव नीचे शिर्षक में दशांश रुपे राशि सम्बन्धित लागूकों को प्रस्तावित करने की स्वीकृति दी जाती है-

Sl. No.	Name/ Father's Name & Address	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	Syed Fazal Izhhar Hussain, S/o Syed Izhhar Hussain, Baldev Sahai Path, Kadamkuan, Patna-3	Live Stock Meqt Company	2,00,000/-	1000.00	1,99,000.00
2.	Tabassum Ara, W/o Md. Rafi, Bagh Malu Khan, Patna City, Thana Chawk, Patna-8	Readymade Garments	1,00,000/-	500.00	99,500.00
			3,00,000.00	1,500.00	2,98,500.00

विन आवेदक/लाभार्थी के बीच पत्रक/अभिलेख पर बाह्य कमाजात प्राप्त करने का उल्लेख है, वे सभी कमाजात प्राप्त करने के बाद ही प्रथम द्वारा बैंक हस्तात कराया जाएगा। यह बैंक जिला अल्पसंख्यक कल्याण परामर्शिका, पटना के कार्यालय में उनकी उपस्थिति में विवरित कराया जाएगा। स्वीकृत रक्षण राशि से वर्तित टैड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का कथ 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा रक्षण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा कथ की गयी सामग्रियों की शीति कर प्रपण्डलीय कार्यालय के प्रथरी द्वारा प्रतिवेदन सम्पत्ति किया जायेगा। उक्त स्वीकृत रक्षण को अणुधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान बैंकसिक किस्मों अथवा 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

संख्या: **2509**.....

प्रतिनिधि: जिला अल्पसंख्यक कल्याण परामर्शिका, पटना/सभी अणुधारकों/अणु रक्षण/अणु रक्षण (कम्युटर से) /

लेखा शाखा/प्रपण्डलीय कार्यालय प्रथरी को सूचनाएँ एवं अनुपालनाएँ प्रेषित।

दिनांक :- 13/10/13  
पुनः निदेशक  
एन

का.सं. निदेशक  
11/10/13